भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †3613

सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

श्रीशैलम में मंदिर पर्यटन सर्किट का विकास

†3613. डॉ. बायरेड्डी शबरी:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत पाँच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य सरकार अथवा किसी अन्य एजेंसी से श्रीशैलम को सम्मिलित करते हुए किसी मंदिर पर्यटन परिपथ के विकास के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या श्रीशैलम तथा उसके आसपास स्थित मंदिर स्थलों के विकास के लिए कोई मास्टर प्लान अथवा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किया गया है अथवा प्रस्तुत किया गया है और यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) गत पाँच वर्षों के दौरान श्रीशैलम तथा उसके आसपास संपर्क सुविधा, पर्यटक सुविधाओं, विरासत संरक्षण, सुरक्षा तथा अन्य पर्यटन अवसंरचना में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) गत पाँच वर्षों के दौरान श्रीशैलम में पर्यटन अवसंरचना हेतु स्वीकृत, जारी की गई केंद्रीय सहायता तथा उसमें से उपयोग की गई राशि का योजना-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार श्रीशैलम को किसी वर्तमान अथवा प्रस्तावित मंदिर/आध्यात्मिक पर्यटन परिपथ के अंतर्गत शामिल करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ङ): पर्यटन स्थलों और पर्यटन उत्पादों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। हालाँकि, पर्यटन मंत्रालय, अपनी विभिन्न योजनाओं जैसे, तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद), स्वदेश दर्शन (एसडी), स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0), चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी) के अंतर्गत, पर्यटकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में पर्यटन से संबंधित अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित करता है।

पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है। प्राप्त प्रस्तावों की निर्धारित दिशानिर्देशों के संदर्भ में जांच की जाती है और निर्धारित शर्तों की पूर्ति तथा निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मंत्रालय ने अपनी प्रशाद योजना के तहत 43.08 करोड़ रुपये की लागत वाली 'श्रीशैलम मंदिर का विकास' नामक एक परियोजना को स्वीकृति दी है। 43.08 करोड़ रुपये की पूरी राशि जारी कर दी गई है और उसका उपयोग कर लिया गया है। उक्त परियोजना पूरी हो चुकी है।

उक्त परियोजना के अंतर्गत तैयार किए गए प्रमुख घटकों में प्रकाश व्यवस्था, पर्यटक सुविधा केंद्र, चेंजिंग रूम, पार्किंग, रैंप, शौचालय परिसर, पेयजल सुविधा और सड़क सुधार कार्य आदि शामिल हैं।
